

कार्यालय नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मोपाल

// आदेश //

क्रमांक जी.पी.आर./दो/9/1/0003/2021-22।

मोपाल, दिनांक

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के आदेशानुसार शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, गवालियर, इन्दौर तथा रीवा को स्थाई रूप से बंद करने निर्णय लिया गया है। राजपत्र भाग 3 (1) विज्ञापन एवं अन्य सूचनाएं एवं भाग 3 (2) सांखियकी सूचनाएं का प्रकाशन गवालियर प्रेस से किया जा रहा है। शासन के आदेशानुसार मुद्रणालय बंद होने के कारण गवालियर मुद्रणालय से प्रकाशित होने वाले राजपत्र भाग-3 का प्रकाशन दिनांक 30-4-2021 के पश्चात् उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, मैदामिल रोड, भोपाल - 462011 (दूरभाष क्रमांक 0755-2551063) द्वारा किया जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by 
Bhakta Chandra Patel
Date: 2021-04-09 15:05:44 IST

नियंत्रक

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री

मोपाल

मोपाल, दिनांक /2-4-2021

पृष्ठांकन क्रमांक जी.पी.आर./दो/9/1/0003/2021-22।

728

1. प्रमुख सचिव, मोपाल शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
2. सचिव, मोपाल शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, गवालियर, इन्दौर खण्डपीठ,
4. समस्त जिला एवं सत्र न्यायधीश, मध्यप्रदेश,
5. आयुक्त, भू अभितेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, गवालियर,
6. शासन के समस्त विभाग,
7. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
8. समस्त संभागीय आयुक्त,
9. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
10. समस्त उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संसाधारण, मध्यप्रदेश,
11. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि आमजन साधारण को सूचित करने हेतु उक्त आदेश को जन सामान्य को अवगत कराने हेतु सामाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने हेतु अग्रेषित
12. उप नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, गवालियर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.4.2021 के पश्चात् राजपत्र भाग-3 के प्रकाशनार्थ प्राप्त समस्त डॉक उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल को भेजना सुनिश्चित करें एवं संबन्धित डाक प्रेषितकर्ता को भी सुनिश्चित करें।
13. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय/क्षेत्रीय मुद्रणालय, भोपाल, इन्दौर एवं रीवा,
14. नियंत्रक के स्टेनो/गार्ड नस्ती हेतु

की ओर सन्तानी गांव भानुगढ़ कार्यवाही हेतु भरेषित।


रज. मञ्जलक (वित्त)

कुलनाम बदलने संबंधी विलेख

इस विलेख द्वारा मैं, निम्न हस्ताक्षरकर्ता, क, ख, ग, (नया नाम), निवासी

जिसे अब तक क, ग (पुराना नाम) कहा जाता था, तथा जो

समस्त आवेदकों के लिए :-

1. अपने तथा अपनी पत्नी एवं अपने बच्चों और अपनी दूरतर संतान के लिये तथा अपनी और उन सबकी ओर से, अपने पूर्व कुलनाम ग (केवल) के उपयोग को पूर्णतः त्यागता हूं छोड़ता हूं तथा उसका परित्याग करता हूं और उसके स्थान पर इसकी (विलेख की) तारीख से कुलनाम ख, ग अंगीकर करता हूं जिससे कि मुझे तथा मेरी पत्नी एवं मेरे बच्चों और दूसरी संतान को मेरे द्वारा अंगीकर किये गये कुलनाम ख, ग से ही पुकारा जाय, व जाना जाय, और पहचाना जाय न कि मेरे पूर्व (ग केवल) से।
2. अपने इस निश्चय को प्रकट करने के प्रयोजनार्थ घोषणा करता हूं कि मैं, इसके पश्चात् समस्त समयों पर, समस्त अभिलेखों, विलेखों तथा लेखों में और समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों तथा संव्यवहारों में, चाहे ये प्रायवेट हों या सरकारी हों और समस्त अवसरों पर अपने पूर्व कुलनाम ग (केवल) के स्थान पर तथा उसकी जगह कुलनाम ख, ग का ही उपयोग करूंगा और इसी कुलनाम के हस्ताक्षर करूंगा।
3. समस्त व्यक्तियों को अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत करता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि मैं इसके पश्चात् समस्त समयों पर मुझे तथा मेरी पत्नी एवं मेरे बच्चों और मेरी दूरतर संतानों को तदनुसार ऐसे अंगीकृत कुलनाम से ही नामोविष्ट तथा संबोधित करें।

जिससे कि साक्ष्य में मैंने अपने पूर्व तथा अंगीकृत नामों क, ग तथा क, ख, ग से इस पर हस्ताक्षर कर दिये हैं और आज तारीख मास सन् 20 को अपनी मुद्रा लगा दी है।

<p>अपरिनामित क, ख ग जिसे पूर्व में क, ग कहा जाता था, द्वारा (ज) की उपस्थिति के हस्ताक्षर किये गये, मुद्रांकित किया गया तथा परिदत्त किया गया।</p>	<p>क, ग क, ख, ग</p>
--	-------------------------

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-3 (1) में नाम/उपनाम परिवर्तन कराने संबंधी दस्तावेजों की सूची।

1. रुपये 50/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र जिसमें आवेदक/आवेदिका का नाम, पिता/पति का नाम जन्मतिथि, व्यवसाय, निवास का पता अंकित कराने के उपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन करने का स्पष्ट उल्लेख कर शपथ-पत्र तैयार कराना, शपथ-पत्र नोटरी से सत्यापित कराने के उपरांत मूलप्रति भेजें।
2. शपथ पत्र अनुसार विज्ञप्ति/सूचना तैयार कर स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति/सूचना का प्रकाशन एवं प्रकाशन उपरांत समाचार पत्र की संपूर्ण प्रति भेजें।
3. राजपत्र में आम सूचना/सूचना प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति (जो समाचार अनुसार हो) टंकित कर नये नामं हस्ताक्षर सहित एवं पुराना नाम हस्ताक्षर सहित भेजें।
4. प्रकाशन शुल्क न्यूनतम रुपये 400/- विभागीय मद (0058--00--102--0000) में ऑनलाईन जमा कर चालान की प्रति संलग्न करें।
5. शपथ-पत्र में अंकित व्यवसाय अनुसार यदि आप शासकीय सेवा में सेवारत हैं तो रुपये 10/- का नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प बिना क्रॉस किया हुआ भेजें।
6. शासकीय सेवा में सेवारत होने की स्थिति में नाम परिवर्तन संबंधी आवेदन विभागाध्यक्ष की अनुशंसा के साथ भेजें।
7. पेज नम्बर-2 पर रखे गये प्रारूप एक के डीड फार्म पर आवश्यक पूर्ति उपरांत दो राजपत्रित अधिकारियों के हस्ताक्षर मय पदमुद्रा सहित कराकर भेजें।
8. नाम/उपनाम परिवर्तन के संबंध में शैक्षणिक अंक सूची, आधार कार्ड राशन कार्ड, बोटर आई.डी., पेन कार्ड, पासपोर्ट एवं मूल निवासी प्रमाण-पत्र एवं आधार पहचान पत्र की स्वयं द्वारा या नोटरी/राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रतियां भेजें।
9. कुलनाम बदलने हेतु सभी शासकीय/अशासकीय आवेदकों को प्रारूप एक दो राजपत्रित अधिकारियों से हस्ताक्षरित करना अनिवार्य है।

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-3 (1) में फर्म के पार्टनर शिव डीड में परिवर्तन/स्थान में परिवर्तन की सूचना का प्रकाशन कराने संबंधी दस्तावेजों की सूची।

1. फर्म के लैटर पैड पर वर्तमान पार्टनर के हस्ताक्षर, नाम एवं फर्म की मुद्रा अंकित कर आवेदन पत्र भेजें।
2. पंजीकृत फर्म के रजिस्ट्रेशन एवं उसके पश्चात् की पार्टनरशिप डीड की समस्त छायाप्रतियां नोटरी द्वारा सत्यापित कर भेजें।
3. प्रारूप-5/प्रारूप-2 की छायाप्रति नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर फोटो सहित भेजें।
4. आम सूचना/सूचना प्रकाशन के स्थानीय समाचार पत्र की संपूर्ण प्रति भेजें।
5. समाचार पत्र में प्रकाशित आम सूचना/जाहिर सूचना की स्वच्छ प्रति फर्म के लैटर पैड पर टाईप कराकर तथा उस पर वर्तमान पार्टनर के हस्ताक्षर, नाम तथा फर्म की मुद्रा अंकित कर भेजें।
6. प्रकाशन शुल्क न्यूनतम रुपये 400/- विभागीय मद (0058--00--102--0000) में ऑनलाईन जमा कर चालान की प्रति संलग्न करें।
7. समस्त पार्टनर जो सम्मिलित हो रहे या निकल रहे उन सभी के आधार कार्ड पैन कार्ड संलग्न करें।